राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.I /　　　　　　　　　　　　दिनांक 25.03.2020

आदेश सं. – 121

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है तथा यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य ढांचे सहित अनिवार्य सेवाएं और आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित करते हुए विभिन्न उपाय लागू तथा क्रियान्वित करने में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है।

जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनु. 6(2) (i) के तहत शक्तियों के अनुपालन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने पत्र सं. 1–29/2020–पीपी (पार्ट–II), दिनांक 24.03.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी करते हुए निदेश दिए हैं कि भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्राधिकरण प्रभावी कदम उठाएं ताकि देश में कोविड–19 के संक्रमण को रोका जा सके।

जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उक्त आदेश के तहत और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों के अनुलग्नक के अनुसार कड़े अनुपालन के निदेश के साथ दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं. यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।

मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रेषित

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि

1. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

Scanned with CamScanner

पत्र सं. एफ.02/07/2020/एस.I, दिनांक 25.03.2020 का अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 महामारी के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों संबंधी दिशानिर्देश :

1. भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम, गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40–3/2020–डी, दिनांक 24.03.2020 के अनुलग्नक में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगे.

2. निम्नलिखित के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/स्वायत्त निकायों/निगमों के कार्यालय बंद रहेंगे.

क. पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन और आपात सेवाएं, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन और जेल.

ख. जिला प्रशासन और वेतन एवं लेखा कार्यालय.

ग. बिजली, जल एवं सफाई.

घ. निगमों के निकाय–अनिवार्य सेवाओं जैसे, सफाई के लिए अपेक्षित स्टाफ, जलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था इत्यादि से संबंधित कर्मचारी।

3. अस्पताल और समस्त संबद्ध चिकित्सा संस्थानों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उनकी विनिर्माण और वितरण इकाइयां, जैसे औषधालय, केमिस्ट और चिकित्सा उपकरण वाली दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस इत्यादि काम करना जारी रखेंगे. समस्त चिकित्सीय कर्मचारी, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य अस्पताल सेवाओं के लिए अनुमति है.

4. निम्नलिखित के अलावा वाणिज्यिक और निजी संस्थान बंद रखे जाएंगे :

क. राशन की दुकानों (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत) सहित खाद्य पदार्थ, ग्रॉसरी, फल तथा सब्जियां, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट तथा मछली, पशुओं के चारे की दुकानें. हालांकि, लोगों के अपने घरों से बाहर निकलने को कम करने के लिए जिला प्रशासन होम डिलीवरी का प्रोत्साहन और सुविधाएं दे सकते हैं।

ख. बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम।

ग. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

घ. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाएं, केवल आई.टी. और आई.टी. इनेबल्ड सेवाएं (अनिवार्य सेवाओं के लिए) और जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा।

ङ. खाद्य पदार्थों, दवाइयों, ई–कॉमर्स के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों सहित सभी अनिवार्य वस्तुओं की डिलीवरी।

च. पेट्रोल पम्प, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल स्टोरेज आउटलेट्स।

Scanned with CamScanner

छ. ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण इकाईयां तथा सेवाएं।

ज. सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं।

झ. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।

ञ. प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं।

अन्य सभी संस्थान केवल घर से ही कार्य करा सकेंगे।

5. निम्नलिखित के अलावा औद्योगिक संस्थान बंद रखे जाएंगे :

क. अनिवार्य वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां।

ख. राज्य सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद सतत् प्रक्रियारत रहने वाली उत्पादन इकाईयां।

6. निम्नलिखित के अलावा समस्त परिवहन सेवाएं–वायु, रेल, सड़क परिवहन–निलंबित रहेंगी :

क. केवल अनिवार्य वस्तुओं का परिवहन।

ख. अग्निशमन, कानून एवं व्यस्था तथा आपात सेवाएं।

7. निम्नलिखित के अलावा आतिथ्य–सत्कार सेवाएं निलंबित रहेंगी :

क. ऐसे होटल, होमस्टे, लॉज और मॉटल, जो लॉकडाउन के कारण पर्यटकों और व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा और आपात स्टाफ, वायु और समुद्री चालक–दल।

8. समस्त शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रखे जाएंगे.

9. सभी पूजा स्थल जनता के लिए बंद रखे जाएंगे। किसी अनिवार्यता के बिना किसी धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं होगी।

10. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह/सम्मेलनों पर रोक रहेगी।

11. किसी अंत्येष्टि के मामले में, बीस से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. ऐसे सभी व्यक्तियों, जो 15.02.2020 के बाद भारत आए हो, और ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर/संस्थान में क्वारंटीन रहने के कड़े निदेश दिए गए हों, निदेश न मानने की स्थिति में उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

13. जहां कहीं उपरोक्त नियंत्रण उपायों में छूट का अनुमति दी गई हो, वहां संगठन/नियोक्ता कोविड–19 वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की जाएंगी, साथ ही साथ समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुझाई गई सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा।

Scanned with CamScanner

14. इन नियंत्रण उपायों को क्रियान्वित करने के क्रम में, जिलाधिकारी संबंधित स्थानीय कार्यक्षेत्र में इंसिडेंट कमांडरों के रूप में सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती करेंगे. इंसिडेंट कमांडर अपने कार्यक्षेत्रों में इन उपायों को पूरी तरह क्रियानवित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे. उस क्षेत्र विशिष्ट में अन्य सभी विभाग उक्त इंसिडेंट कमांडर के निदेशों के तहत कार्रवाई करेंगे. जैसा उपर्युक्त उल्लिखित है और दिनांक 24.03.2020 के आदेशों (परिशिष्ट के अनुसार संशोध्त प्रारूप में) के तहत जारी शक्तियों की अनुसूची में निर्धारित किया गया है, इंसिडेंट कमांडर अनिवार्य मूवमेंट के लिए पास जारी करेंगे. इसके अलावा, परिचय–पत्र तथा वाहन पास लेने के लिए कार्यालयों में आवाजाही को रोकने के लिए, परिचय–पत्र तथा वाहन पासों के लिए ई–पास जारी किए जा सकेंगे. साथ ही, जहां कही लागू हो, विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा भी ई–पास जारी किए जा सकेंगे. पास जारी कराने के लिए हैल्पलाइन नंबर 1031 है, इसके अतिरिक्त जिला–वार मोबाइल नंबर परिशिष्ट में दिए गए हैं।

15. कानून लागू कराने वाले सभी प्राधिकारी ध्यान दें कि ये कड़े प्रतिबंध मौलिक रूप से लोगों की आवाजाही से संबंधित हैं, अनिवार्य वस्तुओं की आवाजाही से नहीं।

16. इंसिडेंट कमांडर विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संसाधानों, अस्पताल के ढांचों की शुरुआत और विस्तार के लिए कर्मचारियों और सामग्री की आवाजाही के लिए किए जाने वाले सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहते हों।

17. जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों के साथ ही साथ इंसिडेंट कमांडरों तथा उनके समकक्ष सहायक पुलिस आयुक्तों के बीच सटीक समन्वय बना रहना चाहिए. वे दैनिक आधार पर निरंतर एक–दूसरे से संपर्क में रहेंगे तथा की जाने वाली कार्रवाइयों और जन परिवादों को हल करने के लिए जानकारियों का आदान–प्रदान करेंगे. वे यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे कि उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में सभी किराना दुकानें/दूध/सब्जी/फलों की दुकानें/एटीएम इत्यादि खुले रहें।

18. इन नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

19. उपर्युक्त नियंत्रण उपाय दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे।

मुख्य सचिव, दिल्ली

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

स्वास्थ्य विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार पास

कोविड–19 ड्यूटी

वाहन नंबर : ....

उद्देश्य : ....

तारीख : कब से .... कब तक ....

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कोविड–19 ड्यूटी

नाम : ....

सेवा का प्रकार : ....

कार्यालय/कार्य स्थल : ....

फोटो आईडी कार्ड नंबर : ....

(अर्थात् आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)

तारीख : कब से .... कब तक ....

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

पास जारी करने के लिए वाट्सएप नंबर

जिला	संपर्क नंबर	जिला	संपर्क नंबर
पूर्व	8447200084 8375878007	दक्षिण पूर्व	8595246396 8595258871
पूर्वोत्तर	9540895489 8860425666	पश्चिम	9414320064 8595252581
मध्य	7428336279 7428210711	दक्षिण	9599649266 9643150027
नई दिल्ली	9540675392 9873743727	दक्षिण पश्चिम	9971518387 9971526953
उत्तर	8595298706 8595354861	उत्तर पश्चिम	8595559117 8595543375
शाहदरा	8595272697 8595274068		

Scanned with CamScanner